नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, छत्तीसगढ़

—आदेश—

क्रमांक / 310 /प्रशि0 / 2013, रायपुर, दिनांक 2-3-13

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि वर्तमान में नगर सैनिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में भ्रान्तियाँ उत्पन्न होने से अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था होने की संभावना बनी रहती है । अतः निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :—

01— वर्तमान में नगर सैनिकों को निलंबन करने का अधिकार केवल जिला सेनानियों को है, इससे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अनुशासनहीनता तथा लापरवाही इत्यादि होने पर उसे निलंबन करने के लिये जिला सेनानी को निर्देशित करना पड़ता है । इससे कई बार तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाती है, जिससे अनुशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

अतः तत्काल प्रभाव से जिला सेनानी तथा उनके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी स्वयं सेवकों के निलंबन का अधिकार प्राप्त होगा ।

02— जिस अधिकारी के द्वारा निलंबन किया जावेगा, निलंबन से बहाल भी उसी अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

03— नगर सेना के स्वयं सेवकों को विभिन्न शासकीय कार्यों के लिये जैसे प्रशिक्षण तथा अन्य जिलों में कानून व्यवस्था तथा चुनाव संबंधी कार्य तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भेजा जाता है । कई बार स्वयं सेवकों द्वारा कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर वहाँ के अधिकारियों को उनके भर्ती वाले जिले के अधिकारियों को लिखना पड़ता है । इससे अनुशासनात्मक कार्यवाही में विलम्ब होता है, तथा अनुशासन एवं अन्य कार्यों पर विपरीत असर पड़ता है ।

अतः अब तत्काल प्रभाव से जिस स्थान पर स्वयं सेवकों की तैनाती अथवा प्रशिक्षण इत्यादि पर लगाया जावेगा, वहाँ के नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को भी उसे निलंबन करने का अधिकार होगा ।

04— उपरोक्त प्रकरणों में महानिदेशक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

(एस.के. पारसवान)
महानिदेशक
नगर सेना, छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक / 311 /प्रशि0 / 2013, रायपुर, दिनांक 2-3-13

प्रतिलिपि :—

01— कमाण्डेन्ट, सी.टी.आई. माना कैम्प रायपुर को सूचनार्थ ।

02— समस्त संभागीय सेनानी, नगर सेना, छ0ग0 को सूचनार्थ ।

03— समस्त जिला सेनानी, नगर सेना, छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एस.के. पारसवान)
महानिदेशक
नगर सेना, छत्तीसगढ़